विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ''आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, ''रेत खनन एवं पर्यावरणीय परिणाम'', ''मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण'' तथा ''जल कर का निर्धारण एवं संग्रहण'' विषयों पर तीन लेखापरीक्षाएँ एवं बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस, खनन प्राप्तियाँ एवं भू–राजस्व प्राप्तियों पर 22 कण्डिकाएँ सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में कुल ₹ 4,712.16 करोड़ की वित्तीय विवेचना की गई है, जो वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अर्जित कर एवं कर–भिन्न राजस्व प्राप्तियों का 8.84 प्रतिशत है। शासन/विभागों ने ₹ 2,506.49 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 3.74 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

1 सामान्य

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,05,510.60 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2016–17 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,23,306.79 करोड़ रहीं। राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व ₹ 53,280.16 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.21 प्रतिशत), भारत सरकार से प्राप्त प्राप्तियों का अंश ₹ 70,026.63 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 56.79 प्रतिशत) है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के पश्चात केन्द्रीय करों में राज्यांश 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हुआ है।

(कंडिका 1.2.1)

लेखापरीक्षा में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य व्यापक भिन्नता पाई गई। वित्त विभाग ने यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अनावश्यक रूप से निर्धारित उच्च बजट अनुमान संबंधित प्रशासनिक विभाग के दृष्टिकोण की आवश्यक जाँच या वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद तैयार किये गये।

(कंडिका 1.2.3)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा विद्युत कर एवं शुल्क के 31 मार्च 2017 को बकाया राजस्व ₹ 5,291.62 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 1,923.92 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थें।

विभागों में बकाया राजस्व वसूली या उसके संग्रहण पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। विभागों के पास लंबित बकाया का कोई डेटाबेस नहीं है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी माँगे जाने पर विभागों द्वारा फील्ड इकाईयों से बकाया प्रकरणों व राशि के आँकड़े एकत्रित कर संकलित किए जाते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग एवं पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 को बकाया लंबित में संशोधन किया गया, जो अभिलेखों के संधारण में कमियों को प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को लंबित बकाया का डाटाबेस तैयार करना चाहिए तथा उसकी वसूली की प्रगति पर नियंत्रण रखने की प्रणाली विकसित करना चाहिए। विभाग बकाया राजस्व की वसूली हेतु प्रत्येक निर्धारण अधिकारी के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।

(कंडिका 1.3)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 5,198 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 23,415 कंडिकाएं, जिनमें राशि ₹ 21,576.37 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2017 के अन्त तक लम्बित थीं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि शासन द्वारा एक तंत्र बनाया जाए जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित/सुधारात्मक कार्यवाही की जाए एवं लेखापरीक्षा से तारतम्य बनाते हुए निरीक्षण प्रतिवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके।

(कंडिका 1.5)

वर्ष 2016–17 के दौरान छह विभागीय लेखापरीक्षा समिति (वि.ले.स.) की बैठकें आयोजित की गईं लेकिन परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों की पर्याप्त तैयारी के साथ न आने से केवल पाँच वि.ले.स. बैठकें ही सम्पन्न हुईं। वाणिज्यिक कर, खनिज साधन, राज्य आबकारी एवं भू–राजस्व विभागों से संबंधित 251 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल 1,074 कंडिकाओं में से 24 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 313 कंडिकाएँ चर्चा के दौरान निराकृत हुईं। कंडिकाओं के निराकरण न होने का कारण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना एवं वसूली की कार्यवाही जारी रहना था।

(कंडिका 1.5.1)

राजस्व संग्रहण विभागों द्वारा वर्ष 2012–17 के दौरान कुल 8,042 कर निर्धारण नस्तियाँ/अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में विफल रहें, जो विभागों में भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी की संभावना के लिए चेतावनी का संकेत है। लेखापरीक्षा इन लेन–देनों की गतिविधियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

(कंडिका 1.5.2)

वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस, खनन प्राप्तियाँ एवं जल कर की 392 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,73,032 प्रकरणों में ₹ 6,270.37 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 14,974 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 3,081.23 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 151 प्रकरणों में ₹ 5.15 करोड़ की वसूली की।

(कंडिका 1.7)

2 राज्य उत्पाद शुल्क

''आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण'' की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- आबकारी विभाग अनाज से अल्कोहल के उत्पादन में अनाजों में मौजूद स्टार्च की मात्रा व आसवकों द्वारा नियोजित किण्वन एवं आसवन की तकनीक पर विचार करते हुए, उचित या कोई मानक निर्धारित करने में विफल रहा जिससे शासन को न्यूनतम ₹ 1,086.65 करोड़ उत्पाद शुल्क से वंचित रहना पड़ा।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग अनाजों से अल्कोहल के उत्पादन के मानक इन अनाजों में मौजूद स्टार्च की मात्रा और आसवकों द्वारा नियोजित किण्वन एवं आसवन की तकनीक पर विचार करते हुये संशोधन कर सकता है।

  (कंडिका 2.5.8.1 एवं 2.5.8.2)

- शीरे से अल्कोहल उत्पादन के लिए आसवक द्वारा नियोजित नई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में किण्वन दक्षता और आसवन दक्षता में संशोधन करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 82.54 करोड़ के न्यूनतम आबकारी शुल्क से शासन वंचित रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग शीरे से अल्कोहल उत्पादन के लिए आसवकों द्वारा नियोजित उन्नत प्रौद्योगिकी के तारतम्य में उत्पादन मानकों को संशोधित कर सकता है।

(कंडिका 2.5.8.3)

- बीयर उत्पादन के मानक प्रस्तावित करने में विभाग की विफलता ने राज्य शासन को ₹ 22.93 करोड़ के न्यूनतम आबकारी शुल्क से वंचित किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग अनाज में स्टार्च की मात्रा और मदिरा निर्माता द्वारा नियोजित किण्वन तकनीक पर विचार करके अनाज से बीयर उत्पादन के मानक निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

(कंडिका 2.5.8.4)

- भांग के फुटकर विक्रय मूल्य को निर्धारित करने में विभाग की विफलता से न्यूनतम ₹ 1.99 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग उन अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाए जाने वाले भांग की फुटकर विक्रय दर निर्धारित करने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क जमा नहीं किया है।

(कंडिका 2.5.9)

- देशी मदिरा के उत्पादन की वास्तविक कीमत का विश्लेषण किए बिना देशी मदिरा की निविदा प्रक्रिया में केवल राज्य के मदिरा निर्माताओं को भाग लेने की अनुमति देने के फलस्वरुप कम प्रतिस्पर्धा व आसवकों के मध्य गुटबंदी हुई और आसवकों को ₹ 653.08 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए बोली लगाने में कोई गुटबंदी नहीं है और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क पर निर्णय लेने के दौरान पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य शासन को वित्तीय हानि न हो।

(कंडिका 2.5.10.1)

- देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आबकारी नीति में अवांछित परिवर्तन से शासन पर वर्ष 2016–17 में ₹ 48.21 करोड़ की देनदारी उत्पन्न हुई।

(कंडिका 2.5.10.2)

- आसवनी परिसर से बाहर की तुलना में आसवनी परिसर में ईएनए/आरएस के परिवहन के लिए शासन द्वारा असममित परिवहन शुल्क का निर्धारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्माताओं के एक वर्ग को वर्ष 2012–17 के दौरान अनुचित लाभ पहुँचा और ₹ 100.84 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग आरएस/ईएनए के परिवहन के लिए सभी उत्पादन इकाईयों से समान परिवहन शुल्क लेने पर विचार कर सकता है।

(कंडिका 2.5.11)

- लोक लेखा समिति के निर्देशों (72वाँ प्रतिवेदन, 2015–16) के बावजूद शासन अनुज्ञप्ति/लेवल के समाप्त होने, गैर नवीनीकरण और निरस्त करने के प्रकरणों में विदेशी मदिरा के निराकरण की निगरानी सुनिश्चित करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी, धार

अनुज्ञप्ति/लेबल के गैर नवीनीकरण के दो प्रकरणों में, जिनमें ₹ 3.03 करोड़ का आबकारी शुल्क शामिल था, 14 से 23 माह बाद भी उचित कार्यवाही करने में असफल रहे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को लोक लेखा समिति के 72वें प्रतिवेदन के अनुपालन में अनुज्ञप्ति/लेबल की समाप्ति, गैर नवीनीकरण और निरस्त करने के प्रकरणों में विदेशी मदिरा के निराकरण की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए।

(कंडिका 2.5.12)

- बारह निर्माण इकाईयों द्वारा आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र (ई.वी.सी.) 1 से 401 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किए गये। तथापि विभाग चूककर्ता निर्माताओं पर ₹ 462.77 करोड़ की शास्ति अधिरोपित करने में विफल रहा।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग शास्ति के अधिरोपण हेतु नियमों में संशोधन पर विचार कर सकता है और क्रमशः उच्चतर एवं अनिवार्य शास्ति का प्रावधान कर सकता है।

  (कंडिका 2.5.13.1)

- एक माह की नमूना जाँच में पाया गया कि सात निर्माता इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों ने सुरक्षा राशि ₹ 2.05 करोड़ के विरूद्ध ₹ 52.72 करोड़ मूल्य की विदेशी मदिरा/ई.एन.ए. के परिवहन/निर्यात की अनुमति दी।

  (कंडिका 2.5.14)

- विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य पर निगरानी एवं परामर्श के लिए ₹ 2.16 करोड़ व्यय किया गया, जो कि सॉफ्टवेयर के विकास की कीमत ₹ 2.05 करोड़ से अधिक था। इसके बावजूद 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहा।

  (कंडिका 2.5.15)

3 वाणिज्यिक कर

''मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के तहत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण'' पर लेखापरीक्षा से पाया गया कि:

- कर निर्धारण अधिकारी निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा रेत और गिट्टी की खपत पर रॉयल्टी भुगतान एवं संबंधित अभिलेखों के साथ उनकी विवरणियों को प्रतिसत्यापित करने में असफल रहे जिससे निर्माण कार्य में हस्तांतरित अधिसूचित सामग्री के आयतन की गलत गणना हुई। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 45.51 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

  (कंडिका 3.6.9)

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय अंकेक्षित लेखों, क्रय की गई सामग्री के विवरण, टी.डी.एस. प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे अभिलेखों की अनिवार्य जाँच नहीं किये जाने से 125 प्रकरणों में ₹ 872.97 करोड़ के टर्नओवर का अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.04 करोड़ के कर एवं ₹ 168.09 करोड़ शास्ति का कम आरोपण हुआ।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर निर्धारण प्राधिकारी

कर–निर्धारण के समय निर्माण कार्य ठेकों के निष्पादन में हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य से संबंधित सभी अभिलेखों का सत्यापन करें।

(कंडिका 3.6.10)

- मुख्य ठेकेदार को कटौती की अनुमति देते समय कर निर्धारण अधिकारी यह मिलान करने में विफल रहा कि उप–ठेकेदारों ने इन कटौतियों पर कर चुकाया है, जिसके परिणामस्वरूप उप–ठेकेदारों/मुख्य ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर में ₹ 171.82 करोड़ की अनुबंध प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हुईं, और शास्ति सहित ₹ 20.60 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग एक तंत्र विकसित कर सकता है जिससे मुख्य ठेकेदारों को केवल यह साक्ष्य प्राप्त होने पर ही कटौती की अनुमति दी जा सकती है कि उप–ठेकेदारों ने वास्तव में कर जमा किया था, जिनके टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदारों ने कटौती का दावा किया था।

(कंडिका 3.6.11)

- सभी वृत्तों से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इस का कोई साक्ष्य नहीं था कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान ₹ 4,535.40 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए प्रशमन सुविधा रखने वाले 646 निर्माण कार्य ठेकेदारों ने वास्तव में ₹ 163.29 करोड़ के प्रशमन कर की राशि का भुगतान किया था।

(कंडिका 3.6.14.2)

- कर निर्धारण आदेश जारी करने से पूर्व अन्य विभागों से या वैटिस सॉफ्टवेयर से आवश्यक जानकारी एकत्र करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों की कमी के कारण, ₹ 15.41 करोड़ के टर्नओवर का अवनिर्धारण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 3.08 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को वैटिस में एक तंत्र को स्थापित करना चाहिए जिससे निर्धारण अधिकारी अनिवार्य रूप से अन्य सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में संबंधित डेटाबेस और अभिलेखों के साथ अपने कर निर्धारण से संबंधित विवरणों को प्रतिसत्यापित करें।

(कंडिका 3.6.18)

- कर निर्धारण अधिकारी बिल्डरों को एक निर्माण कार्य ठेकेदार के रूप में मानने में विफ़ल रहे, भले ही बिल्डर्स ने अग्रिम लेकर संभावित खरीदारों के साथ अनुबंध किया हो। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.77 करोड़ के कर और शास्ति का कम आरोपण हुआ।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि बिल्डर द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य ठेके एवं अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संयुक्त ठेके दोनों को निर्माण कार्य ठेका माना जाना सुनिश्चत करने के लिए, विभाग उपयुक्त प्रक्रियाएं बना सकता है।

(कंडिका 3.6.19)

अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने एवं पूर्व की लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों (दिसम्बर 2015) का अनुपालन करने में वाणिज्यिक कर विभाग विफल रहा।

(कंडिका 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंकेक्षित लेखे, विक्रय सूची तथा व्यवसायी के अन्य अभिलेखों में दिये गये कर योग्य टर्नआवर के विरूद्ध ₹ 48.95 करोड़ के कर योग्य टर्नआवर का कम निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 9.57 करोड़ कर, जिसमें ₹ 18.13 लाख ब्याज एवं ₹ 5.41 करोड़ शास्ति शामिल थी, का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग के लिये यह आवश्यक है कि कर निर्धारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने हेतु वैटिस में आवश्यक मॉड्यूल्स को सम्मिलित करें और अन्य उपाय प्रारम्भ करें।

(कंडिका 3.7)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मान्य किये जाने योग्य राशि ₹ 117.06 करोड़ के आगत कर छूट के स्थान पर ₹ 120.97 करोड़ का आगत कर छूट मान्य किया जिसके परिणामस्वरूप 92 प्रकरणों में ₹ 5.50 करोड़ शास्ति सहित ₹ 9.41 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। विभाग में 2013 में आगत कर छूट प्रकरणों के इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिसत्यापन हेतु एक विशेष सैल की स्थापना की है। परन्तु आगत कर छूट के दावों का सत्यापन करते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विभागीय आँकड़ों को संज्ञान में नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग आगत कर की छूट के सत्यापन तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर सकता है जिससे क्रय विवरण अंकेक्षित लेखे से सत्यापित, समुचित रूप से अभिलेखों द्वारा प्रमाणित/समर्थित हो और संबंधित विक्रय व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत विवरणों से उनका मिलान हो सके।

(कंडिका 3.8)

कर निर्धारण प्राधिकारियों के सही दर से कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.44 करोड़ शास्ति सहित ₹ 3.98 करोड़ के कर का कम आरोपण किया गया। सामग्रियों पर सही दर से कर आरोपण हेतु विभाग ने सुसंगत वस्तुओं के विवरण संबंधी शब्दावली (एच.एस.एन. कोड) को नहीं अपनाया है जिससे निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा सामग्रियों का सही वर्गीकरण नहीं किया गया तथा उन पर अनुचित दर से कर आरोपण किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को शीघ्रता से एच.एस.एन. कोड को ग्रहण करना चाहिये और ऐसे उपाय आरम्भ करने के लिए लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं/निर्देशों को लागू करना चाहिए जिससे इन अनियमितताओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

(कंडिका 3.10)

4 खनन प्राप्तियाँ

''रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम'' पर लेखापरीक्षा से पाया गया कि:

- बालाघाट और उज्जैन जिला कलेक्टरों द्वारा 31 रेत खदानों में रेत की अनुमानित मात्रा को आरक्षित मूल्य के रूप में निर्धारित करने में विफ़लता के परिणामस्वरूप ₹ 3.37 करोड़ की रायल्टी कम प्राप्त हुई।

(कंडिका 4.5.8.2)

- व्यापारिक खदानों से आय के रजिस्टर के संधारण में जिला खनिज अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप नौ जिलों में 48 ठेकेदारों से ₹ 1.38 करोड़ की अनुबंध राशि की कम वसूली हुई, और ₹ 2.35 करोड़ के ब्याज की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.5.9.1)

- म.प्र.राज्य खनन निगम लि. (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) ने शासन को ₹ 136.69 करोड़ की रॉयल्टी नहीं दी क्योंकि म.प्र. शासन के साथ निगम के लीज अनुबंध में ठेकेदार से निगम द्वारा प्राप्त रॉयल्टी की संपूर्ण राशि जमा करना निर्धारित नहीं था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को म.प्र.रा.ख.नि.लि. के साथ अनुबंध में संशोधन करना चाहिए जिससे म.प्र.रा.ख.नि.लि. से अनुबंधित मात्रा या वास्तव में खपत हुई और प्रेषित रेत की मात्रा, जो भी अधिक हो, उस पर रॉयल्टी संग्रह की जाए, जिससे सरकार को राजस्व हानि वहन न करना पड़े।

(कंडिका 4.5.9.3)

- विभाग ने राज्य में गौण खनिजों के संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन (डी.एम.एफ.) को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया था। परिणामस्वरूप खनन प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई निधियाँ उपलब्ध नहीं थीं।

(कंडिका 4.5.10.1)

- राज्य में पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का अभाव है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग रेत खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र विकसित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मुद्दों की बारीकी से निगरानी करने के लिए आवधिक विवरणी निर्धारित करे।

(कंडिका 4.5.10.2)

- रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पर्याप्त जाँच चौकियाँ स्थापित नहीं की गई थीं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विभाग प्रत्येक जिलों में पर्याप्त संख्या में जाँच चौकियाँ स्थापित कर सकता है।

(कंडिका 4.5.10.4)

अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

18 जिला खनन कार्यालयों में ₹ 62.50 करोड़ की रायल्टी को 58 पट्टेदारों और 11 ठेकेदारों से अवसूल/कम वसूल किया गया। इनमें प्रमुख रूप से मुख्य खनिज के 22 पट्टेदारों ने ₹ 60.50 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया/कम भुगतान किया और अस्थायी पट्टे के दो ठेकेदारों ने ₹ एक करोड़ का अग्रिम रॉयल्टी भुगतान नहीं किया।

(कंडिका 4.6)

चार सौ इक्यावन खनन पट्टेदारों द्वारा ग्रामीण बुनियादी संरचना और सड़क विकास कर ₹ 24.79 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 7.87 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी संरचना और सड़क विकास कर के भुगतान न किये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ कर एवं ₹ 50.76 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.7)

एन.एम.ई.टी. रॉयल्टी के जमा की निगरानी के लिये जिला कलेक्टरों और 11 जि.ख. अधि. की विफलता के कारण 20 अनुज्ञापत्र धारकों से ₹ 8.11 करोड़ की कम प्राप्ति हुई और 42 अनुज्ञापत्र धारकों ने ₹ 8.12 करोड़ रायल्टी का भुगतान नहीं किया।

(कंडिका 4.8)

लोक लेखा समिति ने विभाग को निर्देश दिये थे (27वाँ प्रतिवेदन, वर्ष 2014–15) कि विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। परन्तु विभाग विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली के लिए तंत्र विकसित करने में असफल रहा। जिला खनिज अधिकारी 153 पट्टेदारों से अनिवार्य किराया/रॉयल्टी पर ब्याज के ₹ 13.91 करोड़ वसूल नहीं कर पाए।

(कंडिका 4.4 एवं 4.9)

5 जल कर

"जल कर का निर्धारण एवं संग्रहण" की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाये गये कि:

- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) अनूपपुर द्वारा अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए एक कंपनी से जल कर की वसूली हेतु देयक जारी नहीं किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 17.13 करोड़ के न्यूनतम जल कर की राशि की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2.10)

- कार्यपालन यंत्री, हिरण संभाग जबलपुर द्वारा कंपनी को निर्दिष्ट अवधि 48 माह में औद्योगिक उत्पादन शुरू करने में असफल रहने पर उसके विरूद्ध दाण्डिक जल कर ₹ 1.30 करोड के आरोपण एवं वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.11)

- चयनित 18 संभागों के कार्यपालन यंत्री उद्योगों, घरेलू जल आपूर्तिकर्ताओं और किसानों से ₹ 1,489.67 करोड़ के बकाया जल कर की वसूली में असफल रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2009 में याचिका निरस्त किये जाने के बाद भी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, अनूपपुर द्वारा लंबित राशि ₹ 771.06 करोड़ की वसूली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

  लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि बकाया जलकर की वसूली को केन्द्रित करते हुये विभाग एक समर्पित वसूली प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है। विभाग अविलंब ऐसे बकाया वसूली के प्रकरणों का पुनरावलोकन कर सकता है और ऐसे प्रकरणों, जहाँ विभाग का मानना है कि राशियों की वसूली संभव नहीं है, वित्त विभाग को अपलेखन के विचारार्थ प्रस्ताव प्रेषित कर सकता है।

  (कंडिका 5.2.12)

- तीन संभागों द्वारा बिना किसी अनुबंध के चार स्थानीय निकायों को जल उपलब्ध कराया गया एवं उन स्थानीय निकायों से ₹ 11.55 करोड़ की राशि की वसूली लंबित रही। इसके अतिरिक्त 18 संभागों में बिना किसी अनुबंध के किसानों द्वारा लिये गये जल पर ₹ 107.89 करोड़ की जल कर राशि वसूली योग्य थी।

(कंडिका 5.2.13)

6 स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस

सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए 24 उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित ₹ 4.90 करोड़ के राजस्व से संबंधित 172 प्रकरणों के निराकरण में जिला पंजीयक विफल रहे, यद्यपि, संदर्भित प्रकरणों के निराकरण के लिए तीन महीने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को उचित बाजार मूल्य निर्धारण एवं उस पर शुल्क आरोपण हेतु उप पंजीयकों द्वारा जिला पंजीयकों को संदर्भित किए गए समस्त प्रकरणों को तीन माह के भीतर निपटाने के लिए जिला पंजीयकों को दिये गये अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 6.6)

लोक लेखा समिति (वर्ष 2006–07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 72वाँ प्रतिवेदन, 2015–16) ने पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग को विलेखों के गलत वर्गीकरण एवं स्टाम्प शुल्क की अनुचित दरों के लगाये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था, इसके बावजूद भी विभाग ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित कर पाने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप पंजीयकों द्वारा सम्पत्ति के बाजार मूल्य का उचित निर्धारण न करने या विलेखों का गलत वर्गीकरण करने के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क की दरों के गलत लगाये जाने से 226 विलेखों में ₹ 3.92 करोड़ स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस का कम निर्धारण हुआ।

(कंडिका 6.7 एवं 6.8)

7 भू–राजस्व

तीन प्रकरणों में ₹ 2.24 करोड़ के प्रीमियम, 108 प्रकरणों में ₹ 2.61 करोड़ का भू–भाटक मई 2018 तक वसूल नहीं किया गया था। साथ ही, भुगतान न की गई राशि पर ₹ 42.20 लाख का ब्याज एवं ₹ 26.06 लाख की शास्ति भी नहीं आरोपित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.53 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.6)

नजूल भूमि के मूल्य का निर्धारण पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप चार प्रकरणों में ₹ 1.77 करोड़ का व्यपवर्तन किराया और प्रीमियम का अवमूल्यांकन हुआ। इसके अलावा, निजी भूमि के बाजार मूल्य का अवमूल्यांकन किये जाने के कारण 86 अन्य प्रकरणों में व्यपवर्तन किराए और प्रीमियम का ₹ 72.15 लाख का कम निर्धारण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 2.49 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 7.7)

ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित व्यपवर्तित भूमि से संबंधित 311 प्रकरणों में, कलेक्टर और तहसील कार्यालयों ने प्रीमियम पर पंचायत उपकर की न तो माँग जारी की और न ही वसूली की गई। 42 प्रकरणों में प्रीमियम के साथ ही व्यपवर्तन किराये पर भी उपकर

नहीं लगाया गया जिसके कारण ₹ 96.59 लाख के राजस्व से शासन वंचित रहा। वर्ष 2015 एवं 2016 में शासन ने स्वीकार किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपकर लगाया जाना चाहिए एवं लोक लेखा समिति ने अनुशंसा की थी कि शासन को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीमियम पर उपकर लगाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना चाहिए लेकिन इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(कंडिका 7.8)

8 वाहन कर

लो.ले.स. ने (29वाँ प्रतिवेदन, 2014–15) लंबित कर एवं शास्ति की निर्धारित समय सीमा में वसूली करने तथा समय पर देयताओं की वसूली की कार्यवाही न करने वाले ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया था। इसके बावजूद विभाग एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में असफल रहा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन कर पूर्ण रूप से एकत्रित हों तथा चूककर्ता कर और शास्ति के भुगतान से बच न सकें।

5,559 वाहन स्वामियों द्वारा अक्टूबर 2010 से मार्च 2016 की अवधि का वाहन कर या तो कम जमा किया या नहीं जमा किया गया। परिवहन प्राधिकारियों ने वसूली योग्य राशि के माँग पत्र नहीं जारी किए तथा कर न जमा करने के लिए मोटर वाहनों को जब्त एवं निरूद्ध करने की कार्यवाही नहीं की, परिणामस्वरूप लंबित राशि पर ₹ 20.28 करोड़ का कर एवं ₹ 11.65 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है कि वाहन कर पूर्ण रूप से एकत्र किए जावें और चूककर्ता कर और शास्ति के भुगतान से बच न सकें।

(कंडिका 8.6)

1,532 निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दर से लगाया गया, परिणामस्वरूप ₹ 10.53 करोड़ के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

(कंडिका 8.7)